

निवेदन प्रार्थी का सूना गया। दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराना किया तथा मौजा बरसूणा के खाता संख्या 368, 76 के खसरा नम्बर 199 रकबा 2.3229 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 285 रकबा 1.5135 हैक्टेयर में दर्ज छोटाराम पुत्र रूपाराम के स्थान पर छोटाराम पुत्र रूपाराम शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज प्रार्थी के आधार कार्ड नम्बर 8366 2047 8137 एवं वोटर आई डी नम्बर RJ/02/192/0417102 में प्रार्थी का नाम छोटाराम पुत्र रूपाराम नाम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आदी एवं अप्रार्थी सं.1 राजपैरोकार ने जवाब अनुसार छोटाराम पुत्र रूपाराम एवं छोटाराम पुत्र रूपाराम एक ही व्यक्ति के दो नाम है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार यह तार्ईद होता है कि प्रार्थी का अन्य दस्तावेजात में नाम एवं राजस्व रिकॉर्ड में नाम में भिन्नता है। प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध किया जाता है रिकॉर्ड दुरस्ती से सुलभता रहेगी। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की सुसंगत धाराओं में नहीं है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थीगण का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में मौजा बरसूणा के खाता संख्या 368, 76 के खसरा नम्बर 199 रकबा 2.3229 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 285 रकबा 1.5135 हैक्टेयर में दर्ज छोटाराम पुत्र रूपाराम के स्थान पर छोटाराम पुत्र रूपाराम दुरुस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: : आदेश: : —

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के स्वीकार किया जाता है। मौजा बरसूणा के खाता संख्या 368, 76 के खसरा नम्बर 199 रकबा 2.3229 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 285 रकबा 1.5135 हैक्टेयर में दर्ज नाम छोटाराम पुत्र रूपाराम के स्थान पर छोटाराम पुत्र रूपाराम दुरुस्त/दर्ज किया जाने का आदेश दिये जाते है। तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

आदेश आज दिनांक .....22/03/24 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।



अभिलाषा कर्कर  
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)  
जयपुर (नागौर)